# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

**पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.**

**प्रकरण सं0 64 / 2021 (2021 / 109)** **दायर दिनांकः 17.03.2021**

उनवान

1. मोहनलाल पुत्र रामलाल जाति माली निवासी चरडाना तहसील अटरू
2. शिवजी पुत्र श्यामलाल जाति माली निवासी अटरू तहसील अटरू जिला बारां (राज0)।

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब, तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादी

## वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0टी0एक्ट0 एवं धारा 136 एल0आर0एक्ट

**उपस्थिति :—**

वादीगण :— विद्वान अभिभाषक श्री सुरेश कुमार शर्मा

प्रतिवादी :— पेरोकार सरकार

## निर्णय

दिनांक 20 / 04 / 2023

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादीगण ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, आर.टी.एक्ट एवं धारा 136 एल0आर0एक्ट0 का इस आशय का पेश किया है कि वादीगण के खाते एवं कब्जे की ग्राम खेडलीगंज तहसील अटरू में खाता संख्या 218 की खसरा नं. 273 की 0.27 हे0 एवं खसरा नं. 558 / 275 की 0.05 हे0 भूमि कुल किता 2 की कुल 0.32 हेक्टर भूमि स्थित है जो खेड़लीगंज बस स्टेण्ड से रेल्वे स्टेशन मेन रोड़ पर स्थित है जिस पर वादीगण की पक्की दुकाने बनी हुई है। जिसका नक्शा एवं जमाबन्दी वाद पत्र के साथ संलग्न है जो काबिल गौर है। वादीगण के खाते में भूमि खसरा नं. 275 की 0.09 हेक्टर में से 0.05 हेक्टर दर्ज करनी थी जिसको हल्का पटवारी द्वारा ऑन लाइन रिकार्ड कराते समय गलती से वादीगण के कब्जे व पुराने नक्शे के मुताबिक दर्ज नही की। हल्का पटवारी द्वारा सेटलमेन्ट के बाद के नक्शे को नजर अन्दाज करके गफलत एवं लापरवाही तरीके से वादीगण के खाते एवं कब्जे की भूमि नक्शे में बदलकर रिकार्ड में ऑन लाइन गलत फीड करवा दी। जिसको वादीगण

दुरूस्त कराने के अधिकारी है। बिना सहायता न्यायालय वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी का नक्शा सही करवाया जाना सम्भव नही है। यदि वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी का नक्शा सही नही किया गया तो वादीगण को अपरिमित क्षति होगी तथा वादीगण को अनेकानेक वाद विवादों में उलझना पड़ेगा। अस्तु वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी का नक्शा दुरूस्त करते हुये ऑन लाइन फिडिंग से पहले के नक्शे के अनुसार नक्शा सही दर्ज किया जावे। वाद कारण प्रथम बार व अन्तिम बार दिनांक 28.01.2021 को वादीगण को वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी का नक्शा गलत दर्ज होने की जानकारी होने पर माननीय न्यायालय के सीमा क्षेत्र में उत्पन्न हुआ। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से श्रीमान तहसीलदार साहब अटरू को इस वाद में आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। वाद राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पेश है। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश है। अतः माननीय न्यायालय में वादीगण वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करते है कि निम्न आशय की डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी सादिर फरमाई जावे कि :–

(अ) वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी का रिकार्ड व नक्शा दुरूस्त करते हुये ख.नं. 275 के 0.04 हे0 के स्थान पर ख.नं. 558/275 की 0.05 हे० भूमि वादीगण के खाते दर्ज की जावे तथा ख नं. 568/275 के 0.05 हे0 के स्थान पर ख.नं. 275 की 0.04 हे0 भूमि सरकार के खाते दर्ज की जाये तथा ऑन लाइन फिडिंग से पहले के नक्शे के अनुसार नक्शा सही दर्ज किया जावे।

(ब) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादीगण को प्रदान की जाये।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी पेरोकार सरकार की तलबी जर्ये सम्मन की गई। प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा पेश नहीं करने के कारण जवाब दावा बन्द किया गया।

3. तहसीलदार एवं मौका मजिस्ट्रेट अटरू से मौका रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार एवं मौका मजिस्ट्रेट द्वारा पत्र क्रमांक राजस्व/2022/2917 दिनांक 29.11.2022 से विस्तृत मौका रिपोर्ट पेश कर कथन किया कि मुताबिक वर्तमान राजस्व रिकार्ड उक्त आराजी ख0नं0 558/275 रकबा 0.05 है0 भूमि खातेदार मोहनलाल पुत्र रामलाल हिस्सा 1/5 शिवजी पुत्र श्यामलाल हिस्सा

4/5 जाति माली के खाते दर्ज है। मौके पर उपस्थित व्यक्तियों द्वारा वादीगणका कब्जा ख0नं0 275 के पश्चिम दिशा में होना बताया हे जिसमें प्रार्थी की चार दुकाने भी बनी हुई है।

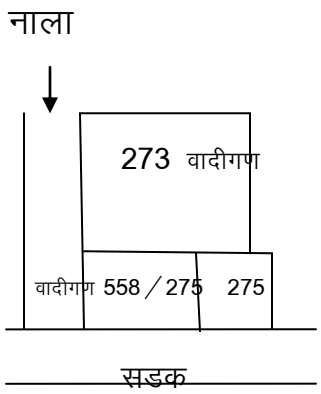


(अ)

मौका स्थिति का नक्शा

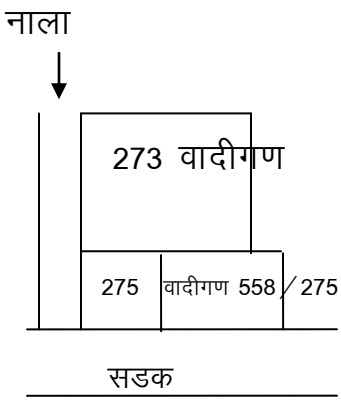


(ब)

राजस्व रिकार्ड का नक्शा

4. अभिभाषक वादीगण की बहस सुनी गई। अभिभाषक वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गया कि वादीगण के खाते एवं कब्जे की ग्राम खेडलीगंज तहसील अटरू में खाता संख्या 218 की खसरा नं. 273 की 0.27 हे0 एवं खसरा नं. 558/275 की 0.05 हे0 भूमि कुल किता 2 की कुल 0.32 हेक्टर भूमि स्थित है जो खेड़लीगंज बस स्टेण्ड से रेल्वे स्टेशन मेन रोड़ पर गै0मु0 नाले के लगवा स्थित है जिस पर वादीगण की वर्षों पुरानी चार पक्की दुकाने बनी हुई है। अभिभाषक वादीगण द्वारा आगे तर्क किया गया कि अटरू तहसील के ऑनलाइन होने के पूर्व के कपडे के नक्शा लट्ठा अनुसार वादीगण की आराजी ख0नं0 558/275 नाले के लगवा थी जबकि प्रतिवादी की आराजी ख0नं0 275 इसके पूर्व दिशा में स्थित था लेकिन तहसील **ऑनलाईन होने/सेग्रिगेशन** के दौरान राजस्व विभाग के कार्मिकों ने गंभीर लापरवाही करते हुए तैयार की गई नक्शा शीट में सरकारी खसरा नं 275 नाले से लगवा और वादीगणकी आराजी ख0नं0 558/275 को इसके पूर्व दिशा में अंकित कर दिया गया है। अतः तहसील ऑनलाईन/सेग्रिगेशन करने के दौरान राजस्व विभाग के कार्मिकों द्वारा वादीगण के ख0नं0

558/275 व प्रतिवादी क्रम ख0नं0 275 की गैर कानूनी रूप से की गई नक्शा तरमीम को दुरूस्त किया जावे।

5. अभिभाषक वादीगण की बहस एकतरफा के प्रकाश में पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। ग्राम खेडलीगंज की जमाबंदी संवत 2074–77 के अनुसर ख0नं0 273 की 0.27 है0, ख0नं0 558/275 की 0.05 है0 आराजी वादीगणमोहनलाल पुत्र रामलाल व शिवजी पुत्र श्यामलाल के दर्ज खाता है। जमाबंदी संवत 2074–77 के अनुसार विवादित ख0नं0 275 खाता संख्या 1 अप्रार्थी/राज0 सरकार के खाते दर्ज है। ग्राम खेडलीगंज के खसरा नक्शा अनुसार ख0नं0 275 जो कि ख0नं0 226 गै0मु0 नाला के लगवा स्थित दर्ज है। तहसीलदार अटरू की मौका रिपोर्ट क्रमांक 2917 दिनांक 29.11.2022 में अंकित खसरा नक्शा अनुसार वादीगण वास्तविक रूप से मौके पर नाले से लगवा वाले खसरे पर कब्जारत है और वर्षों से चार पक्की दुकाने बना रखी है जबकि राजस्व रिकार्ड के अनुसार नाले से लगवा प्रतिवादी का खसरा नंबर 275 अंकित है। रिपोर्ट में यह भी अंकित किया गया है कि वादीगण वर्षो से नाले के लगवा खसरे पर ही कब्जारत चला आ रहा है।

6. राजस्व नक्शे में वादीगणकी आराजी ख0नं0 558/275 रकबा 0.05 हे0 एवं अप्रार्थी की आराजी ख0नं0 275 रकबा 0.04 है0 की अदला बदली सेटलमेंट के दौरान हुई है या तहसील ऑनलाईन होते/सेग्रिगेशन समय नक्शा शीट में राजस्व कार्मिकों द्वारा तरमीम के दौरान हुई है–के संबंध में स्पष्टता हेतु पुनः पटवारी पटवार हल्का खेडलीगंज से मौका रिपोर्ट मय खसरा नक्शा तलब की गई और कपडे के लटटा नक्शा व ऑनलाईन/सेग्रिगेशन होने के बाद के शीट नक्शा दोनों का अवलोकन किया गया। उक्त मौका रिपोर्ट मय लटठा नक्शा दिनांक 13.04.2023 अनुसार वादीगण की आराजी 558/275 की रकबा 0.05 है0 की तरमीम बस स्टेंड की तरफ नाले से लगवा (पश्चिम दिशा में) थी जबकि ऑनलाईन होने के बाद तैयार प्लास्टिक शीट के नक्शे में तरमीम रेलवे स्टेशन की ओर पूर्व दिशा में कर रखी है जो कि विधि विरूद्ध है। कपडे के लटटा नक्शा व ऑनलाईन होने के बाद के शीट नक्शा दोनों के प्रत्यक्ष अवलोकन से भी स्पष्ट है कि राजस्व नक्शे में यह त्रुटि तहसील ऑनलाईन होने के बाद प्लास्टिक शीट में तरमीम करते समय राजस्व कार्मिकों द्वारा लापरवाही से हुई है। ऑनलाईन होने से पूर्व वादीगण की आराजी लटठे

नक्शे में बस स्टेंड की ओर नाले के लगवा (पश्चिम दिशा) एवं प्रतिवादी की भूमि रेलवे स्टेशन की ओर पूर्व दिशा में थी। अतः वादीगणइस त्रुटि को दुरूस्त कराने के अधिकारी है।

7. तहसील ऑनलाईन करते समय/सेग्रिगेशन के समय नक्शों के ख0नं0/तरमीम जैसी अशुद्धीयों को शुद्ध किये जाने के संबंध में राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा अपने पत्रांक राम/DILRMP/प–126/2021/3685 दिनांक 06.10.2021 के तहत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अधीन कार्यवाही हेतु उपखण्ड अधिकारी को शक्ति प्रदान की गई है।

8. उपरोक्त विवेचन, तहसीलदार अटरू की मौका रिपोर्ट मय नक्शा दिनांक 29.11.2022 व पटवार हल्का खेडलीगंज की मौका रिपोर्ट मय लटठा नक्शा दिनांक 13.04.2023 के आधार पर न्यायहित में वादीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

## –:: क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण तथा उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0टी0एक्ट0 एवं धारा 136 एल0आर0एक्ट0 स्वीकार किया जाता है। ग्राम खेडलीगंज की विवादित आराजी ख0नं0 558/275 की 0.05 है0 की तरमीम राजस्व नक्शे में बस स्टेंड की ओर नाले से लगवा (पश्चिम दिशा) में तथा प्रतिवादी की आराजी ख0नं0 275 रकबा 0.04 है0 की तरमीम रेलवे स्टेशन की ओर पूर्व दिशा में किये जाने के तहसीलदार अटरू को आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार राजस्व नक्शे में तरमीम शुद्ध कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

निर्णय आज दिनांक 20.04.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**(दिनेश कुमार मीणा)**
**उपखण्ड अधिकारी**
**अटरू जिला बारां**

**डिक्री मुकदमा इब्तदाई**

**(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)**

**आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)**

**बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)**

**प्रकरण सं0 64/2021** **दायर दिनांकः 17.03.2021**

**उनवान**

1. मोहनलाल पुत्र रामलाल जाति माली निवासी चरडाना तहसील अटरू
2. शिवजी पुत्र श्यामलाल जाति माली निवासी अटरू तहसील अटरू जिला बारां (राज0)।

वादीगण

**बनाम**

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब, तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादी

**वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0टी0एक्ट0**
**एवं धारा 136 एल0आर0एक्ट**

**उपस्थिति :–**

वादीगण :– विद्वान अभिभाषक श्री सुरेश कुमार शर्मा

मिनजानित मुदई रूबरू .....र.....

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। ग्राम खेडलीगंज की विवादित आराजी ख0नं0 558/275 की 0.05 है0 की तरमीम राजस्व नक्शे में बस स्टेंड की ओर नाले से लगवा (पश्चिम दिशा) में तथा प्रतिवादी की आराजी ख0नं0 275 रकबा 0.04 है0 की तरमीम रेलवे स्टेशन की ओर पूर्व दिशा में किये जाने के तहसीलदार अटरू को आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार राजस्व नक्शे में तरमीम शुद्ध कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

(दिनेश कुमार मीणा)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज .....र..... मुबालिक .....र..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह .....र..... ..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....र..... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 20.04.2023 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

| मुदई | | मुदालयह | |
|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा | खर्चा गवाहान | स्टाम्प अर्जी दावा | फीस कमिश्नर |
| स्टाम्प वकालत नाम | फीस कमिश्नर | स्टाम्प अर्जी | बाबत् इजराय हुकमनाम |
| स्टाम्प वजह सबूत | बाबत् इजराय हुकमनाम | महन्ताना वकील | मुत0 |
| महन्ताना वकील | मुत0 | खर्चा गवाहान | |
| मिजान | | मिजान | |

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)